

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी : - देवीलाल यादव (R.A.S.)

राजस्व प्रकरण संख्या : - 121/2013

उनवान

1. लालाराम पुत्र मगना जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा, नसीराबाद  
-- वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुखपाल पुत्र मगना
2. कल्याण पुत्र छीतर जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद  
-- प्रतिवादीगण :- 1 से 2 अनुपस्थित  
3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

दिनांक :- 29/11/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी की पुश्तैनी आराजी ग्राम रामपुरा हनुवतिया में स्थित है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है :-

चौसाला ख0न0	वर्किंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
937	591	0-1-0	292	3.51
	598	0-8-0		
935	591	0-15-0		
	589	4-0-0		
936	590	2-1-0		
919	591	1-19-0		

उपरोक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 935, 936, 937 व 919 वादी व प्रतिवादी के पूर्वज छीतर पुत्र गणेश, भागीरथ पुत्र भूरा, रामकरण पुत्र देवा के नाम सन् फसली 1349 व खेवट खतौनी जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 में काबिज काश्त खातेदार थे। वादी के पूर्वज की मृत्यु हो गयी है। जिनके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 935, 936, 937, 919 व हाल खसरा नम्बर 292 रकबा 3.51 को पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार खतेदारी दर्ज करने की बजाय सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः आराजी का खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को घोषित किया जावे।

--2

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद ( अजमेर )

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वंकिंग जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। ख0न0 919 फसली 1349 में रामकरण पुत्र देवा के नाम व खसरा नम्बर 935, 936, 937 की नकल सलग्न नहीं है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी खातेदारी की है ?

-- वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 292 रकबा 3.51 टुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया अतः वादी खातेदारी प्राप्तिका अधिकारी है ?

-- वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी, वंकिंग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में सिवायचक खाते में दर्ज है। वादी ने उक्त वाद फसली अभिलेख के आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि फसली के पश्चात की चौसाला जमाबंदी में उक्त आराजी वादी/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है। अजमेर जिले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 01.06.1958 को लागू हुआ था। उक्त दिनांक को वादी/पूर्वज आराजी मुतनाजा के खातेदार नहीं थे। वादी द्वारा आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में खातेदारी होने का कोई टोस प्रमाण भी पेश नहीं किया है। भूमि वादी की पुश्तैनी सिद्ध नहीं होती है। तनकी संख्या 1 विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन से आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी सिद्ध नहीं होती है। वादी का कथन है कि प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाते। किन्तु वादी/पूर्वजों का उक्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जा भी सिद्ध नहीं होता है साथ ही सिवायचक आराजी पर प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। भूमि चौसाला, जमाबंदी, वंकिंग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज टुटिपूर्ण सिद्ध नहीं होता है। तनकी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामपुरा हनु0 के हाल खसरा नम्बर 292 रकबा 3.51 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इव्वाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लालाराम बनाम सुखपाल


दावा बाबत :- 88, 188, राज. का. अधि० 1955 व 136 भू राज० अधि० 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 121/2013

पेश करने की दिनांक - 19.08.13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूवरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम रामपुरा हनु० के हाल खसरा नम्बर 292 रकवा 3.51 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक \_\_\_\_\_ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई


स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद